सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

**पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड** R.A.S.

**प्रार्थना पत्र संख्या :–** 09/2018 **दायर तारीख :–** 08.01.2018

1. ओमप्रकाश पुत्र छाजूलाल सैनी जाति माली निवासी विराटनगर, जिला जयपुर।
2. विमल कुमार जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन जाति महाजन, निवासी विराटनगर जिला जयपुर।
3. समता कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 29 सुन्दरनगर खातीपुरा रोड जयपुर जिला जयपुर। **—— प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

**—— अप्रार्थी**

उपस्थित : श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

**प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी**

**निर्णय**

*निर्णय दिनांक :* *22 /03/2018*

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम तालवा के हाल खसरा नम्बर 10, 11, 12, 42, 47, 48, 49, 50 एवं हाल खसरा नम्बर 65, 67 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने तहसीलदार के आदेशों की पालना में दिनांक 16.12.2017 को सीमाज्ञान करवाया है। प्रार्थी के पडौसी खातेदारों ने उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर दिया है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखल करने लगे है। प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम तालवा के हाल खसरा नम्बर 10, 11, 12, 42, 47, 48, 49, 50 एवं हाल खसरा नम्बर 65, 67 की पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 16.12.2017, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 196, 197, 198, 224 संवत् 2071–2074 आदि पेश किये।
4. पैरोकार सरकार का जवाब रहा कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 65, 67 में फसल होने से सीमाज्ञान नहीं किया जा सका है तथा शेष खातेदारी

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

भूमि का दिनांक 16.12.2017 को सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम तालवा के हाल खसरा नम्बर 10, 11, 12, 42, 47, 48, 49, 50 एवं हाल खसरा नम्बर 65, 67 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक फर्द सीमाज्ञान दिनांक 16.12.2018 प्रार्थीगण ने अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाया है। यह भी कि प्रार्थीगण की आराजी खातेदारी भूमि से अन्य किसी का कोई संबंध नहीं है। खातेदार को अपनी आराजी की सीमाओं को सुरक्षित रखने का अधिकारी है तथा खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 65, 67 का सीमाज्ञान नहीं हुआ है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि दौराने सीमाज्ञान पडौसी खातेदारान द्वारा मौके पर विवाद करने पर आमादा हुए है, अतः पुलिस इमदाद के साथ स्थायी सीमाचिन्ह पत्थरगढी करवायी जावे। अतः मौके पर कानून व्यवस्था बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 65, 67 को छोडकर शेष खसरा नम्बर 10, 11, 12, 42, 47, 48, 49, 50 की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किया जाना न्यायसंगत है।

7. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि आराजी ग्राम तालवा के हाल खसरा नम्बर 10, 11, 12, 42, 47, 48, 49, 50 का सीमांकन कर पत्थरगढी स्थायी चिन्ह स्थापित करावे। मौके पर कानून व्यवस्था के संबंध में तहसीलदार अपने स्तर से संबंधित थानाधिकारी से पुलिस जाप्ता प्राप्त करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

**निर्णय आज दिनांक** *22 /03/2018* **को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।**

( मुकेश कुमार मूंड, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर